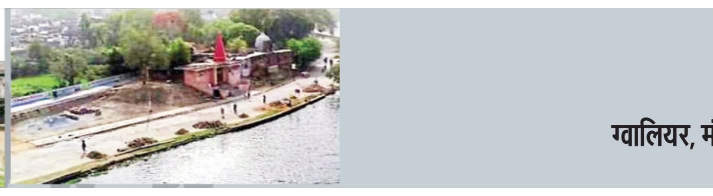

# डीपीसी कार्यालय से गायब हुई विवेकानंद स्कूल की मान्यता निरस्तीकरण फाइल

नवभारत न्यूज

**भिंड 20 जुलाई.** जिले के शिक्षा विभाग में एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसने विभाग की

**शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप**

**आवक-जावक शाखा की सील और हस्ताक्षर के बावजूद पत्र मिलने से इनकार, विभागीय कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल**

कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विवेकानंद स्कूल की मान्यता निरस्तीकरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय से भेजे गए पत्र एवं जांच प्रतिवेदन के डीपीसी कार्यालय पहुंचने और उस पर विधिवत आवक-जावक शाखा की सील एवं हस्ताक्षर दर्ज होने के बावजूद अब संबंधित अधिकारियों द्वारा पत्र प्राप्त होने से

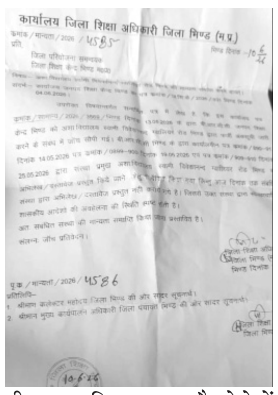


ही इनकार किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर मान्यता निरस्तीकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइल डीपीसी कार्यालय से गायब कैसे हो गई।

जानकारी के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के एक कर्मचारी ने संबंधित पत्र एवं जांच प्रतिवेदन डीपीसी कार्यालय में जमा कराया था। दस्तावेज प्राप्त होने के बाद उसकी विधिवत आवक-जावक भी दर्ज की गई, जिसकी प्रति साक्ष्य के रूप में उपलब्ध बताई जा रही है। इसके बावजूद डीपीसी कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी यह कह रहे हैं कि उनके कार्यालय में न तो कोई पत्र प्राप्त हुआ और न ही कोई जांच प्रतिवेदन पहुंचा।

मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि पत्र प्राप्त नहीं हुआ था तो आवक-जावक शाखा में सील और हस्ताक्षर कैसे किए गए? वहीं यदि पत्र प्राप्त हुआ था तो संबंधित फाइल आखिर कहां गायब हो गई? इस विरोधाभास ने पूरे मामले को संदेह के घेरे में ला खड़ा किया है।

**उठ रहे हैं कई बड़े सवालः**

- जब पत्र एवं जांच प्रतिवेदन डीपीसी कार्यालय पहुंच चुका था तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
- आवक-जावक शाखा की सील और हस्ताक्षर होने के बाद संबंधित दस्तावेज आखिर कहां गायब हो गए?
- क्या मान्यता निरस्तीकरण की कार्रवाई को जानबूझकर लंबित रखा गया?
- यदि फाइल गायब हुई है तो इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी या कर्मचारी की तय होगी?
- क्या पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी?

**निष्पक्ष जांच की उठी मांग**

शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि यह मामला अब केवल एक फाइल के गायब होने का नहीं रह गया है, बल्कि विभाग की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ गया है। यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की गई तो फर्जी स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और विभाग की साख पर भी प्रश्नचिह्न लग सकता है।

**फाइल गायब होने का मामला पकड़ रहा तूल**

सूत्रों का कहना है कि विवेकानंद स्कूल की मान्यता निरस्तीकरण की कार्रवाई लंबे समय से लंबित रखी गई थी। अब फाइल के गायब होने की बात सामने आने से मामले ने और तूल पकड़ लिया है। विभाग में पूर्व में भी शिक्षा माफिया और कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों की कथित सांठगांठ को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में इस मामले को भी उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है।

**पहले भी लगते रहे हैं मिलीभगत के आरोप**

सूत्रों के मुताबिक, शिक्षा विभाग में पूर्व में भी फर्जी स्कूलों के संचालन और कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों की कथित मिलीभगत की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में इस मामले को भी उसी संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

# समय-सीमा बैठक में कलेक्टर ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की

नवभारत न्यूज

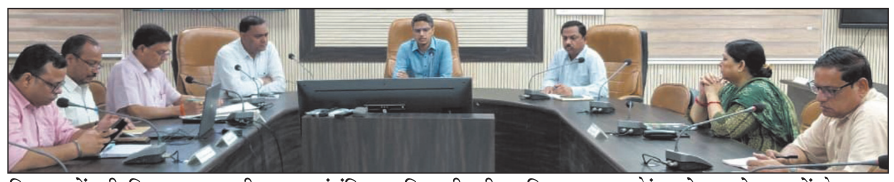

**भिंड 20 जुलाई.** कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में विभिन्न विभागों की कार्यप्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं

**लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश**

गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित प्रकरण, उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों, सीएम मॉनिट प्रकरणों तथा विभिन्न जनकल्याणकारी अभियानों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में कलेक्टर ने ग्रेडिंग माह एवं 50 दिवस से अधिक समय से लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अधिक से अधिक शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण कर बंद कराने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी प्रकरण समय-सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए।

उच्च न्यायालय के लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि स्थानांतरण, सेवा शर्तों एवं अन्य याचिकाओं से संबंधित न्यायालयीन आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना होने पर अवमानना की स्थिति में मुकदमा नीति के अनुसार संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी तथा आवश्यक होने पर उनके वेतन से शास्ति की राशि की कटौती भी की जाएगी। साथ ही सीएम मॉनिट प्रकरणों का त्वरित परीक्षण कर आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।

बैठक में स्थानीय निकाय, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के बीच प्रतिदिन समन्वय बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए, ताकि हितग्राहियों का समग्र सत्यापन, ई-केवाईसी, संबल प्रकरणों की जांच, आयुष्मान कार्ड, आभा आईडी, आधार पंजीयन तथा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जैसी सेवाएं सुचारु रूप से उपलब्ध कराई जा सकें। कलेक्टर ने पशुओं के शत-प्रतिशत टीकाकरण एवं सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को गौशालाओं तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके लिए सतत निगरानी हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने को भी कहा। कुपोषण की रोकथाम के लिए निर्देश दिए गए।बैठक में सघन वृक्षारोपण अभियान, रोजगार मेला, संबल पंजीयन, अनुग्रह सहायता सहित अन्य विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिंड, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

# पांच सूत्रीय मांगों को लेकर फिर आंदोलन की राह पर प्रदेश के पटवारी

**भिंड 20 जुलाई.** मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने अपनी लंबित पांच सूत्रीय मांगों के निराकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजते हुए चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है। संघ का कहना है कि शासन स्तर पर कई बार मांगें उठाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते प्रदेशभर के पटवारियों में असंतोष व्याप्त है। मध्यप्रदेश पटवारी संघ, भोपाल के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र मोहन चौबे द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में बताया गया है कि प्रदेश के सभी जिलों से प्राप्त सुझावों के आधार पर पांच प्रमुख मांगों को शासन के समक्ष रखा गया है। संघ का कहना है कि 25 जनवरी 2025 को भी इन मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया था और बाद में राजस्व मंत्री एवं प्रमुख सचिव राजस्व को भी अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

**संघ ने रखीं पांच प्रमुख मांगें**

पटवारी संघ ने ज्ञापन में पांच प्रमुख मांगों का उल्लेख किया है। इनमें पटवारियों के पदनाम में परिवर्तन कर 'राजस्व निरीक्षक' किए जाने, नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा नियमित कराए जाने, जॉब प्रोटेक्शन एक्ट में पटवारियों को शामिल करने, विभिन्न योजनाओं में लंबित वित्तीय भुगतान तत्काल किए जाने तथा स्थानांतरण नीति के तहत कथित विसंगतियों को दूर कर नियमसम्मत स्थानांतरण सुनिश्चित करने की मांग प्रमुख है।

# 3-3 हजार के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

**भिंड 20 जुलाई.** गोहद थाना पुलिस ने फरार चल रहे दो 3-3 हजार रुपए के इनामी आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। दोनों आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 3-3 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था।

पुलिस के अनुसार, फरियादी नवल सिंह गुर्जर निवासी वार्ड क्रमांक-02, बिहारी नगर, गोहद की शिकायत पर थाना गोहद में अपराध क्रमांक 88/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई थी। विवेचना के दौरान दोनों आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार चल

रहे थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहे थे। पुलिस उनकी तलाश में लगातार प्रयासरत थी। इस बीच मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर थाना गोहद पुलिस ने 20 जुलाई 2026 को बैरथा रोड स्थित ईंट भट्टे के पास घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा घोषित 3-3 हजार रुपए के इनामी इन आरोपियों की गिरफ्तारी थाना गोहद पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र सिंह कुशवाह, उप निरीक्षक रामनिवास गुर्जर, प्रधान आरक्षक 1133 गौरीशंकर, प्रधान आरक्षक 157 संत कुमार, आरक्षक 1161 भानु तोमर, आरक्षक 516 भूपेन्द्र जाट, आरक्षक 905 योगेन्द्र तोमर एवं आरक्षक 197 सरत तोमर की सराहनीय भूमिका रही।

# प्रेम प्रसंग या लेन-देन का विवाद, पड़ोसी के घर पहुंचकर युवक ने खुद को मारी गोली

नवभारत न्यूज

**भिंड 20 जुलाई.** अटेर थाना क्षेत्र के ग्राम निवारी में सोमवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब एक 20 वर्षीय युवक ने कथित रूप से अपने पड़ोसी के घर पहुंचकर देशी कट्टे से खुद को गोली मार ली। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन और ग्रामीण तत्काल घायल युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया। पुलिस ने

घटनास्थल से कट्टा बरामद कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, घायल युवक की पहचान गौरव शर्मा (20) पुत्र ब्रजकिशोर (विजय किशोर) शर्मा, निवासी ग्राम निवारी के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सोमवार शाम करीब 5:30 बजे गौरव अपने पड़ोसी रामनरेश शर्मा के घर पहुंचा और वहीं कट्टे से खुद को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो युवक खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ा मिला। सूचना मिलते ही अटेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया।

**गांव में मचा हड़कंप-** घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और चर्चा का माहौल है। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए।

**पुलिस जुटी जांच में-** अटेर थाना पुलिस मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। युवती, दोनों परिवारों के सदस्यों एवं अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए जा रहे हैं। जांच पूरी होने और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

**लेन-देन का विवाद भी आया सामने**

घटना के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। घायल युवक के ताऊ उमाशंकर शर्मा ने दावा किया कि गौरव ने करीब एक वर्ष पहले पड़ोसी सोनू शर्मा को दो लाख रुपये उधार दिए थे। सोमवार को जब उसने रुपये वापस मांगे तो कथित रूप से उसे धमकी दी गई। परिजनों का आरोप है कि इसी तनाव के चलते गौरव ने यह कदम उठाया। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी किसी एक कारण की पुष्टि नहीं हुई है। प्रेम प्रसंग, आर्थिक लेन-देन और अन्य संभावित कारणों सहित सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है।

**प्राथमिक जांच में प्रेम प्रसंग का मामला आया सामने**

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गौरव का गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेकर पड़ोसी परिवार से उसका विवाद हुआ था। पुलिस इस दिशा में जांच कर रही है और युवती सहित दोनों परिवारों के सदस्यों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए गए हैं तथा घटना में प्रयुक्त देशी कट्टा जब्त कर लिया गया है।

**महेश शर्मा, टीआई, थाना अटेर।**

# मुदगल और मिश्रा बने दतिया उपचुनाव में प्रभारी

नवभारत न्यूज

**मेहगांव 20 जुलाई.** दतिया उपचुनाव में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेवादल की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता ब्रजकिशोर शर्मा 'कल्लू मुद्गल ' व भिण्ड सेवादल जिलाध्यक्ष संदीप मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर सेवादल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अवनीश भार्गव ने दोनों नेताओं को अपनी कोर कमेटी का सदस्य मनोनीत किया है। दोनों नवनियुक्त प्रभारी दतिया में लगातार रहकर बूथ मैनेजमेंट, प्रचार-प्रसार के साथ ही

सेवादल की प्रतिदिन निकलने वाली प्रभात फेरी के संचालन को संपादित करेंगे , सेवादल की तरफ से इस नियुक्ति से दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जमीनी मजबूती और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार पेदा करते हुऐ कांग्रेस पार्टी को बिजयश्री दिलाने के लिए निरंतर प्रयास करते हुऐ कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को घर घर पहुचकर लोगो से सतत संवाद करेगे.

# नशा से दूरी है ज़रूरी' 2.0 के तहत लगाया गया स्वास्थ्य शिविर तथा शपथ अभियान

नवभारत न्यूज

**मालनपुर 20 जुलाई.** । सोमवार को थाना मालनपुर एवं अहिंसा नशा मुक्ति केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम ककरारी पुरा मालनपुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नशा मुक्ति केंद्र के शोसल वर्कर अमित शर्मा तथा प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर मनोज कुमार ने नशा मुक्ति केंद्र में नशे से पीड़ित व्यक्ति को कैसे भर्ती कराना है किस प्रकार वहाँ उपचार कॉउंसलिंग के माध्यम से लोगो को नशे से दूर रखा जाता है समझाया मालनपुर थाना

प्रभारीनिरीक्षक प्रदीप कुमार सोनी ने भी ग्रामीण जनों से नशा ना करने और सभी को नशा से दूर रहने की सलाह दी तथा साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूक किया, कि कैसे हम अपने मोबाइल पर अनजाने नम्बर से आने वाली लिंक बताकर हजारों लाखो रू की ठगी का शिकार बन जाते है हमें इन ठगों से कैसे बचना है बताया अंत में स्वास्थ्य शिविर अहिंशा नशा मुक्ति केंद्र की तरफ से रखा गया जिसमे डॉ परमार ने बीपी, पल्स, ऑक्सीजन लेवल की जाँच कर लोगो को स्वस्थ्य रहने के गुर सिखाये अंत में थाना प्रभारी प्रदीप सोनी जी द्वारा सभी लोगो को नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाई, इस अवसर पर मालनपुर थाने से पुलिस बल उपस्थित हुए वहीं सभी ग्रामवासी तथा पूर्व सरपंच उपस्थित रहे।

# स्वतंत्रता ही जीवन का परम लक्ष्य : एडवोकेट सौम्या शर्मा

नवभारत न्यूज

**मेहगांव 20 जुलाई.** हमारे देश मे आजकल पढ़े लिखे समाज को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले लोगो को सोशल मीडिया पर देश विरोधी गद्दार तक कहा जाता है एक आजादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी देश प्रेमी थे जो पढ़े लिखे लोग थे और शिक्षा के महत्व को समझते थे इसलिए उन्होंने जाती धर्म सम्प्रदाय को देखे बिना आन्दोलन ओर सविधान निर्माण में खोज खोज के जोड़ा था,, आज देश के युवा और लोग जो गाँधी नेहरू को पसंद नही करते उन्होंने कभी अपने दादा पर दादाओ के बारे में जानना नई चाहा कि एक धोती ओर डंडे के साथ चलने वाले बुजुर्ग के साथ आजादी की लड़ाई में कैसे कूद

गए ऐसा नही है कि गांधी नेहरू से पहले आजादी की लड़ाई नही लड़ी गई क्या पूरा हिंदुस्तान मुगलों अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा हुए नही फिर जिस देश मे अशिक्षा ओर गरीबी और जाति धर्म मे वटे लोग जिनको 2 वक़्त की रोटी के अलावा कोई सपना न हो उनको एक साथ जगाने वाले आदमी क्या साधरण होगा उसमें कुछ बात तो रही होगी,,हम इतने स्वार्थी लोग एक बीघा जमीन और चंद रुपयों के लिए बाप बेटे भाई एक दूसरे का खून बहा देते हो और वो एक सूती धोती वाले के साथ मरने मिटने तैयार हो गया जो अपने बाप की बात नही सुनता तो उसमें कुछ खास बात रही होगी,,,आज अपने देश मे आंदोलन करना जो लोकतंत्र में जायज है अगर आप सरकार से सहमत नई है तो आप अपनी बात रखने ये चुन सकते हैं पर सरकारों में बैठे लोग आक्रांताओं ओर अंग्रेजों से भी ज्यादा घमंडी है, क्या लोकतंत्र में जनता से बात करना उनके सवाल का जबाब देना सरकार को उचित नही लगता किस बात का डर और घमंड है ।

सरकार को सबकी बात सुननी चाहिए और समझनी चाहिए ये ही लोकतंत्र है और हम तो सनातनी है जहाँ मुखिया का काम अपने घर के हर सदस्य को सुनना समझना ओर उनकी समस्याओं को दूर करना ये ही तो सनातन विचारधारा है या सिर्फ सत्त्ता सुख ही सर्वोपरि है।

# मिनी वृंदावन' पर नशे का साया होटल-ढाबे बने कथित मयखाने

नवभारत न्यूज

**गोहद 20 जुलाई.** धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रसिद्ध गोहद, जिसे क्षेत्र में 'मिनी वृंदावन' के नाम से जाना जाता है, इन दिनों कथित रूप से बढ़ते नशे के अवैध कारोबार को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में है। स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों और जागरूक लोगों का कहना है कि नगर के कई इलाकों में खुलेआम शराब और अन्य नशीले पदार्थों की उपलब्धता की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। यदि इन शिकायतों में सच्चाई है, तो यह केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही का भी गंभीर विषय है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि गोहद के अधिकांश होटल, ढाबे और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान देर रात तक कथित रूप से 'मयखानों' में तब्दील हो चुके हैं, जहां नियमों की अनदेखी कर शराब परोसे जाने और नशे से जुड़ी गतिविधियां होने की शिकायतें मिलती रही हैं। लोगों का कहना है कि यह स्थिति किसी से छिपी नहीं है, फिर भी प्रभावी कार्रवाई का अभाव कई सवाल खड़े करता है।

**अभियानों तक सीमित कार्रवाई बड़े नेटवर्क पर उठे सवाल**

नागरिकों का कहना है कि एक ओर पुलिस नशा मुक्ति और जनजागरूकता अभियान चलाकर प्रेस नोट और फोटो जारी करती है, वहीं दूसरी ओर शहर के कई गली-मोहल्लों में कथित रूप से खुलेआम अवैध शराब की बिक्री और नशे के कारोबार की शिकायतें लगातार सामने आती रहती हैं। लोगों का सवाल है कि यदि अभियान वास्तव में प्रभावी हैं तो फिर अवैध कारोबार पर स्थायी रोक क्यों नहीं लग पा रही?

स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब भी मीडिया में खबरें प्रकाशित होती हैं या शिकायतें उठती हैं, तब पुलिस कुछ नशा करने वालों या छोटे स्तर के आरोपियों पर कार्रवाई कर अपनी उपलब्धियां गिनाती है। लेकिन जिन लोगों पर अवैध सप्लाई नेटवर्क चलाने या बड़े स्तर पर कारोबार करने के आरोप लगते हैं, उन तक कार्रवाई कम ही पहुंचती दिखाई देती है। इसी कारण लोगों के बीच यह धारणा बन रही है कि कार्रवाई का फोकस उपभोक्ताओं पर अधिक और कथित नेटवर्क पर कम है।

कुछ नागरिकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि अवैध शराब के कारोबार को लेकर स्थानीय स्तर पर संरक्षण मिलने की आशंका है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यदि जांच में ऐसे आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह केवल अवैध कारोबार का नहीं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का भी गंभीर मामला होगा।

कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि जांच में मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त, परिवहन, भंडारण या वितरण प्रमाणित होता है तो एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। वहीं बिना वैध अनुमति शराब की बिक्री या परोसने पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। यदि किसी होटल, ढाबे या परिसर का उपयोग जानबूझकर ऐसे कार्यों के लिए किया गया हो, तो परिस्थितियों के अनुसार संबंधित संचालकों की जिम्मेदारी भी तय हो सकती है।

सामाजिक संगठनों का कहना है कि केवल नशा करने वालों को पकड़ने से समस्या समाप्त नहीं होगी। आवश्यकता इस बात की है कि अवैध कारोबार की पूरी सप्लाई चेन, वित्तीय नेटवर्क और यदि किसी स्तर पर संरक्षण दिए जाने के आरोप हैं, तो उनकी भी निष्पक्ष एवं साक्ष्य-आधारित जांच हो। पुलिस, आबकारी विभाग और जिला प्रशासन को संयुक्त अभियान चलाकर सभी संवेदनशील क्षेत्रों, होटल-ढाबों और संदिग्ध स्थानों का सत्यापन करना चाहिए।

नागरिकों ने यह भी मांग की है कि स्कूलों और महाविद्यालयों में प्रभावी नशामुक्ति अभियान चलाए जाएं, युवाओं को खेल, शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाए तथा नशे के खिलाफ समाज की भागीदारी बढ़ाई जाए।

गोहद की पहचान धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में रही है। ऐसे में नागरिकों का कहना है कि नगर की गरिमा बनाए रखने के लिए केवल अभियान और फोटो सत्र पर्याप्त नहीं हैं। आवश्यकता निष्पक्ष, पारदर्शी और साक्ष्य-आधारित कार्रवाई की है। यदि शिकायतें सही हैं तो दोषियों पर बिना किसी दबाव के कठोर कार्रवाई हो, और यदि आरोप निराधार हैं तो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट की जाए।अब निगाहें जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग पर टिकी हैं कि वे इन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। लोगों का मानना है कि यदि समय रहते बड़े नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, तो 'मिनी वृंदावन' की पहचान पर सवाल उठेंगे और इसका सबसे बड़ा खामियाजा युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा।

## किसानों ने लगाया अनियमितता का आरोप

**आलमपुर ( भिंड ) 20 जुलाई.** आलमपुर विद्युत वितरण केंद्र के जूनियर इंजीनियर अशोक डाबर के खिलाफ किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि कृषि पंप कनेक्शनों की बिलिंग में कथित अनियमितताएं की जा रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। आलमपुर विद्युत वितरण केंद्र भिंड जिले की आधिकारिक बिजली व्यवस्था का हिस्सा है। ?

किसानों के अनुसार, 5 एचपी के पंप कनेक्शन का बिल 7.5 एचपी तथा 7.5 एचपी के पंप कनेक्शन का बिल 10 एचपी के आधार पर भेजा जा रहा है। इसके अलावा कुछ कृषि पंपों को कथित रूप से सिटी लाइन से संचालित किए जाने की भी शिकायत सामने आई है, जिससे किसानों को अनावश्यक आर्थिक एवं व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर किसानों ने संबंधित अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराने और यदि आरोप सही पाए जाएं तो जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।

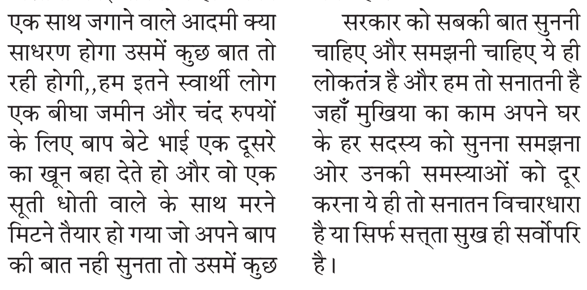

# मालनपुर शासकीय छात्रावास का जिला संयोजक ने किया रात्रि निरीक्षण

नवभारत न्यूज

**मालनपुर 20 जुलाई.** । जिले के शासकीय सीनियर बालक छात्रावास मालनपुर में जिला संयोजक सीपी सोनी द्वारा रात्रि 8

**व्यवस्थाओं से हुए प्रसन्न, अधीक्षक को किया सम्मानित**

बजे आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान छात्रावास अधीक्षक और समस्त कर्मचारी उपस्थित पाए गए। छात्र भी छात्रावास में मौजूद मिले।

निरीक्षण के दौरान श्री सोनी ने छात्रावास की साफ-सफाई, भोजन व्यवस्था, पेयजल, सुरक्षा और अनुशासन सहित अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। छात्रावास की व्यवस्थित संचालन और साफ-सुथरे माहौल को देखकर जिला संयोजक महोदय ने प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर श्री सोनी ने छात्रावास अधीक्षक बृजेश कुमार मौर्य के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह निरंतर मेहनत और लगन से छात्रावास का संचालन किया जाए, ताकि छात्र शिक्षा के साथ-साथ अनुशासित जीवन भी सीख सकें। जिला संयोजक ने कर्मचारियों को भी छात्र हित में तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान अधीक्षक बृजेश कुमार मौर्य सहित छात्रावास के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।